न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 73/2023

शीर्षक

1. रामचन्द्र घोसल्या पुत्र भूरामल घोसल्या, उम्र–वयस्क, जाति जाट, निवास ढाणी टीबावाली तन धानोता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. गिरिराज घोसल्या पुत्र रामचन्द्र
3. संगीता घोसल्या पुत्री रामचन्द्र

समस्त उम्र–नाबालिग जरिये संरक्षक प्राकृतिक पिता रामचन्द्र घोसल्या पुत्र भूरामल घोसल्या जाति जाट उम्र–वयस्क, जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली तन धानोता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज़0।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ति इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 9/5/2025

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0–82 के हाल खसरा नं0–417/3 रकबा 0.25 है0 स्थित वाकै ग्राम धानोता तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का हिस्सा 82/3025 सन्ती देवी पत्नि रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि को आगे के पैराज में वाद ग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यहकि वाद ग्रस्त भूमि मृतका सन्ती उर्फ मोसमा देवी पत्नि रामचन्द्र की स्वअर्जित सम्पति है मृतका वादी सं0–1 की पत्नी एवं वादी सं0–2 व 3 की माता है वाद ग्रस्त सम्पति वादीगण की परिवार की संयुक्त आय से खरीद की गई थी एवं उक्त वाद ग्रस्त भूमि पर शुरू से मृतका एवं वादीगण हाल आबाद काबिज काश्त रहे है। मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

सन्ती देवी उर्फ मोसमा देवी (फौत)

रामचन्द्र (पति) | गिरिराज (पुत्र) | संगीता (पुत्री)

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मृतका सन्ती देवी उर्फ मोसमा देवी को सन्ती देवी एवं मोसमा देवी दोनों नामों से ही जाना एवं पहचाना जाता है। मृतका का बोलता नाम सन्ती देवी है एवं घर पर मृतका को सन्ती देवी एवं मौसमा देवी दोनों ही नामों से जाना एवं पहचाना जाता है एवं उक्त दोनों नाम ही एक व्यक्ति/महिला के है। मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी की मृत्यु दिनाक–22.12.2013 को हो चुकी है मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी की मृत्यु होने के बाद वादी स0–1 ने मृतका का मृत्यु प्रमाण पत्र एव वारिसो का रिकार्ड हल्का पटवारी को दे दिया था जिसके बाद हल्का पटवारी ने वादी सं0–1 को आश्वस्त कर दिया था कि वाद ग्रस्त भूमि में मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा जिस पर वादी सं0–1 आश्वस्त हो गया। यहकि मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी की मृत्यु निर्वसीयत हुई है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–15 की प्रविष्टि (क) के अनुसार वादीगण प्रथम प्रविष्टि के उत्तराधिकारी है जिनको समान अश में मृतका की सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त होगी। मृतका के वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। यहकि वादी सं0–1 की पत्नी एवं वादी सं0–2 व 3 की माता की मृत्यु निर्वसीयत हुई है जिसके उत्तराधिकारी वादीगण ही है मृतका की वाद ग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादी का 1/3 हिस्सा है एवं प्रत्येक वादी विधिनुसार मृतका की भूमि में 1/3 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। यहकि दिनांक–13.07.2023 को वादी सं0–1 वाद ग्रस्त भूमि पर बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु भूमि का राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो वादीगण को जानकारी हुई कि उक्त भूमि अभी भी मृतका के नाम दर्ज हे तो वादी स0–1 ने पटवारी हल्का से खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया तो राजस्व कर्मचारीयो ने न्यायालय से नाम दर्ज करवाने हेतु कहा। जिसके कारण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हुआ है। यहकि वादीगण मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी के विधिक वारिसान है जिनको मृतका की सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त है वाद ग्रस्त आराजी भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी एवं वादीगण को अपने विधिक अधिकारो से महरूम होना पड़ेगा जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि के रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। यहकि प्रतिवादी भूधारक है जिसको कानूनी एतराज पूर्ति एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। यहकि वादीगण ने मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसममा देवी के हिस्से तक अनुतोष न्यायालय श्रीमान् से चाहा है जिससे अन्य सहखातेदारान के हक अधिकारो पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसके कारण सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते

अन्त में निवेदन किया कि हाल खाता संख्या 82 के हाल खसरा नंबर 417/3 रकबा 0.25 है० स्थित वाकै ग्राम धानोता तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बराबर बराबर हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक पेश की। तहसीलदार शाहपुरा को पत्रांक/कोर्ट/2024/246 दिनांक 28.08.2024 के द्वारा एवं स्मरण–पत्र क्रमांक/कोर्ट/2025/78 दिनांक 06.03.2025 के द्वारा जवाब सरकार हेतु लिखा गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में उचित समय दिये जाने उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब अवसर बंद किया गया। वकील वादी ने साक्ष्य में मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र रामचन्द्र कौशल्या पुत्र भूरामल (ए.डब्ल्यू–1) एवं मोहनलाल पुत्र भूराराम (ए.डब्ल्यू–2) पेश किये। प्रकरण में प्रदर्श संख्या–1 (जमाबंदी संवत 2074–2077), प्रदर्श संख्या–2 व 3 (कार्यालय ग्राम पंचायत धानोता लैटर–पैड), प्रदर्श संख्या – 4 (मौसमा देवी का आधार कार्ड), प्रदर्श संख्या – 5 (मौसमा देवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र) कायम किये गये।

वकील वादी ने अपनी एकपक्षीय बहस में अपने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रदर्श, दस्तावेजात् एवं शपथ–पत्र का अवलोकन करवाते हुए अपने वाद–पत्र की ताईद की एवं हाल खाता संख्या 82 के हाल खसरा नंबर 417/3 रकबा 0.25 है० स्थित वाकै ग्राम धानोता तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी का नाम हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बराबर बराबर हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया एवं उक्तानुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात्, प्रदर्श संख्या 1 लगायत 5 का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि जमाबंदी संवत 2074–2077 के हाल आराजी खाता संख्या 82 में हाल खसरा नंबर 417/3 रकबा 0.25 है० वाकै ग्राम धनोता तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर का हिस्सा 82/3025 सन्ती देवी पत्नि रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है एवं उक्त वाद में वर्णित तथ्यों के अनुसार सन्ती देवी पत्नि रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पुष्टि वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज मृत्यु प्रमाण–पत्र से होती है एवं मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी को सन्ती देवी एवं मौसमा देवी दोनों नामों से ही जाना एवं पहचाना जाता है, जिसकी [illegible] तहसील

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

वादी ने प्रदर्श संख्या–2 व 3 (कार्यालय ग्राम पंचायत धानोता लैटर–पैड), प्रदर्श संख्या – 4 (मोसमा देवी का आधार कार्ड), प्रदर्श संख्या – 5 (मोसमा देवी का मृत्यु प्रमाण–पत्र) पेश किया। वकील वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में मोहन लाल पुत्र भूरा राम जाति जाट निवासी धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का शपथ–पत्र पेश किया एवं उक्त शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार मोहन लाल पुत्र भूरा राम जाति जाट उक्त प्रश्नगत आराजी के सहखातेदार है एवं मोहन लाल पुत्र भूरा राम ने अपने बयानों में जाहिर किया कि मैं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार हूं एवं विवादित भूमि खसरा नंबर 417/3 रकबा 0.25 है0 स्थित ग्राम धानोता व उसकी खातेदार मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी एवं वादीगण को जानता हूं एवं वादीगण ने अपने परिवार की संयुक्त आय से खसरा नंबर 417/3 रकबा 0.25 है0 हि0 82/3025 खरीद किया था जो मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी के नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। मृतका को सन्ती देवी उर्फ मौसमा देवी दोनों ही नामा से जाना पहचाना जाता था। मृतका सन्ती देवी उर्फ मौसमा के उसका पति रामचन्द्र, पुत्र गिरिराज एवं पुत्री संगीता ही वारिसान है एवं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नंबर 417/3 रकबा 0.25 है0 हि0 82/3025 को वर्तमान में वादीगण ही बो रहे है एवं हाल आबाद काबिज काश्त है। मृतका के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने वादी संख्या 1 रामचन्द्र घोसल्या पुत्र भूरामल घोसल्या निवासी ढाणी टीबा वाली तन धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का शपथ–पत्र पेश किया जिसमें वादी संख्या 1 ने अपने शपथ–पत्र में अंकित तथ्यों को अपने बयानों में जाहिर करते हुए शपथ–पत्र की ताईद की एवं वाद–पत्र अनुतोष खण्ड के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रदर्श वाद–पत्र की ताईद करने में सफल रहे है। इस प्रकार वकील वादी की बहस तथा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम प्रदर्श, एवं साक्ष्य वादी के शपथ पत्रों के अवलोकन से भी यही जाहिर किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

<u>आदेश</u>

अतः दावा वाद–पत्र में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श , साक्ष्य शपथ–पत्र के आधार पर वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल खाता संख्या 82 के आराजी खसरा नंबर 417/3 रकबा 0.25 है0 वाकै ग्राम धानोता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतका (सन्तीदेवी पत्नी रामचन्द्र)/सन्तीदेवी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

उर्फ मौसमा देवी पत्नी रामचन्द्र का नाम हजफ किया जाकर सन्तीदेवी उर्फ मौसमा देवी पत्नी रामचन्द्र के स्थान पर वादीगण को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/5/2025 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर, आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 73/2023

शीर्षक

1. रामचन्द्र घोसल्या पुत्र भूरामल घोसल्या, उम्र–वयस्क, जाति जाट, निवास ढाणी टीबावाली तन धानोता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
2. गिरिराज घोसल्या पुत्र रामचन्द्र
3. संगीता घोसल्या पुत्री रामचन्द्र

समस्त उम्र–नाबालिग जरिये संरक्षक प्राकृतिक पिता रामचन्द्र घोसल्या पुत्र भूरामल घोसल्या जाति जाट उम्र–वयस्क, जाति जाट निवासी ढाणी टीबावाली तन धानोता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक दुरूस्ति इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 9/5/2025

अतः दावा वाद–पत्र में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रदर्श , साक्ष्य शपथ–पत्र के आधार पर वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि हाल खाता संख्या 82 के आराजी खसरा नंबर 417/3 रकबा 0.25 है0 वाकै ग्राम धानोता, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मृतका (सन्तीदेवी पत्नी रामचन्द्र)/सन्तीदेवी उर्फ मौसमा देवी पत्नी रामचन्द्र का नाम हजफ किया जाकर सन्तीदेवी उर्फ मौसमा देवी पत्नी रामचन्द्र के स्थान पर वादीगण को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

उक्त निर्णय व डिक्री आज तारीख 9/5/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.